09.05.18 अधिवक्ता अपी० व राजकीय अधिवक्ता उप०। मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए प्र०पत्र स्थगन विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नही है। अत: प्र०पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official